

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला शाहपुरा (राज0)

पीठासीन अधिकारी श्री मुकेश कुमार मीणा, आर0ए0एस0

प्रकरण संख्या - 236/2023

उनवान

महेश कुमार पुत्र कन्हैयालाल ब्राह्मण निवासी बोरड़ा बावरियान तहसील शाहपुरा

- प्रार्थी

बनाम

- 1- नन्दा पिता मोती जाट निवासी बोरड़ा बावरियान तहसील शाहपुरा
 - 2- भंवर पुत्र घीसू झंवर बोरड़ा हाल शाहपुरा तहसील शाहपुरा
 - 3- मंजु देवी पत्नी कन्हैयालाल ब्राह्मण निवासी बोरड़ा बावरियान तहसील शाहपुरा
 - 4- घीसू पिता गोकल गुर्जर निवासी बोरड़ा तहसील शाहपुरा
 - 5- नारायण पिता पेकु गुर्जर निवासी बोरड़ा तहसील शाहपुरा
 - 6- देवी पिता हरजी गुर्जर निवासी बोरड़ा तहसील शाहपुरा
 - 7- भंवर पिता लादु गर्ग निवासी बोरड़ा तहसील शाहपुरा
 - 8- निम्बा पिता धन्ना भील निवासी बोरड़ा तहसील शाहपुरा
 - 9- तहसीलदार शाहपुरा तहसील शाहपुरा
 - 10- उगमलाल पिता बालु जाट निवासी बोरड़ा बावरियान तहसील शाहपुरा
- विपक्षीगण

उपस्थिति :- श्री अनिल कुमार शर्मा : अधिवक्ता प्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1956

-:: निर्णय ::-

दिनांक- 05/02/2024

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विरुद्ध विपक्षीगण के प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं - ग्राम बोरड़ा पटवार हल्का बोरड़ा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा में स्थित आराजी नम्बर 1368 रकबा 0.05 है0, 1369 रकबा 0.18 है0, 2524 रकबा 0.71 है0, 2525 रकबा 0.70 है0 कुल किता 4 रकबा 1.64 हैक्टेयर की प्रार्थी सह खातेदारी काश्तकार है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ोसी है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य आराजी के सीमाचिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा सम्बन्धी विवाद उत्पन्न होता रहता है। अतः पत्थरगढ़ी करवाई जावे।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विपक्षीगण बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं होने से एकतरफा कार्यवाही की जाकर बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई। हमने पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबन्दी ग्राम बोरड़ा पटवार हल्का बोरड़ा संवत 2076 से 2079 तक का अवलोकन किया। उपरोक्त वर्णित आराजीयात् प्रार्थी के सह खातेदारी में दर्ज होकर अपनी आराजीयात् की पत्थरगढ़ी कराना चाहता है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा बोरड़ा में स्थित प्रार्थी की उपरोक्त सह खातेदारी की आराजीयात् किता 4 रकबा 1.64 हैक्टेयर की पुख्ता पत्थरगढ़ी पक्षकारान् की मौजूदगी में अगर मौके पर अन्य कोई विवाद न हो तो व कोई प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन न हो तो कब्जे में हस्तक्षेप नहीं करते हुये पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु तहसीलदार शाहपुरा को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। पत्थरगढ़ी हेतु कमिश्नर फीस 600/- रुपये कायम किये जाते हैं, जो प्रार्थी से तहसीलदार शाहपुरा मौके पर प्राप्त करें। पत्थरगढ़ी मौका पर्चा पेश करें। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम से हो। बाद तफसील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 05/02/2024 को सरे इजलास सुनाया गया।



(मुकेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलक्टर
शाहपुरा जिला शाहपुरा

प्रतिलिपि :- तहसीलदार शाहपुरा के पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान् की मौजूदगी में नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावे।



उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलक्टर
शाहपुरा जिला शाहपुरा